भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-CHB 055/2010-BHO/ 2105, दि0-16-11-2010,

प्रति,
प्रधान सचिव,
वन एवं संस्कृति विभाग,
डी0के0 भवन, रायपुर
(छत्तीसगढ़) ।

विषय: कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी–1792 एवं पी–1793 की 4.890 हे0 संरक्षित वनभूमि 7 मेगावाट शालिवाहना लघु विद्युत परियोजना निर्माण हेतु निदेशक, शालिवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सिकंदराबाद को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–सीएचबी 055/2010–बीएचओ/1488 दिनांक 03/08/2010
2 मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ का पत्रांक भू–प्रबंध/विद्युत/479–46/1751 दिनांक 08/10/2010 एवं पत्रांक भू–प्रबंध/विद्युत/479–46/2021 दिनांक 12/11/2010

महोदय,

कृपया छत्तीसगढ़ शासन के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5–5/2010/10–2 दिनांक 14/07/2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 4.890 हे0 संरक्षित वनभूमि 7 मेगावाट शालिवाहना लघु विद्युत परियोजना निर्माण हेतु निदेशक, शालिवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सिकंदराबाद को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 4.892 हे0 गैर वनभूमि (प0ह0न0 11, परिक्षेत्र–सोनाखान, ग्राम–छेछर, तह0–कसडोल, जिला–रायपुर) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

...2

3. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

4. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़, जेल रोड, रायपुर ।
3. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ ।
4. निदेशक, शालिवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सिकंदराबाद, आन्ध्रप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)